

foHkkx dk uke% gkE; ksi \$Fkd fpfdRI k I dk; @vk; dk

dk; kLy; dk uke% ftyk gkE; ksi \$Fkd fpfdRI kf/kdkjh] : nã z kx A

Hkkjr I jdkj }kjk I puk ds vf/kdkj I EcfU/k dkuu ikfjr fd; s tkus ds QyLo: i
dh tkus okyh dk; bkgH ds I Ecu/k ea vk[; k %

fcUn41½

I xBu dh fof' kf"B; kW -R; vkj drD; &%

होम्योपैथिक विभाग का संगठन प्रदेश स्तर पर निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, तथा जिला स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, के नेतृत्व में गठित होता है, विभाग के कार्य/दायित्व, जिला स्तर पर शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध संसाधन के अनुरूप, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा सरल, सस्ती, सुलभ एवं दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा सुविध, उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य हैं।

I xBukRed <kpk fuEukuq kj g&%

निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड

(डा० बी० एस० कनवासी निदेशक हैं)

संयुक्त निदेशक(2) पद रिक्त हैं।



उपनिदेशक(2)



डा० बी०एस० मेहरा



डा० एन०एफ० काजमी (संबद्ध)



ft yk gkE; ks fFkd fpfdRI kf/kdkjh 1 3 1/2



कार्यालय सहायक

1, चपरासी 2, स्वच्छक-कम-चौकीदार
(दोनों पद रिक्त हैं)



ग्रामीण/नगर क्षेत्रों (चिकित्सालय)

(कुल 5 चिकित्सालय)

चिकित्साधिकारी,
फार्मसिस्ट

1, कक्ष सेवक, स्वच्छक/चौकीदार

शासन द्वारा निदेशक, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो कि राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। तथा साथ ही अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं।

पद नाम संयुक्त निदेशक /	कर्तव्य
निदेशक / उपनिदेशक / जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी / चिकित्साधिकारी / फार्मसिस्ट एवं समस्त अधिनस्त कर्मचारी	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधि एवं साज-सज्जा की माँग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं चिकित्साधिकारियों / फार्मसिस्ट व अन्य कर्मचारियों के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

fcUn 2 1/2

vf/kdkfj; ka vkj depkfj; ka dh 'kfDr; ka vkj drD; %&

ft yk gkE; ks fFkd fpfdRI kf/kdkjh

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	सम्बन्धित कार्य
01	औषधियों से सम्बन्धी कार्य	1-जनपद के समस्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति कराना। 2-चिकित्सालयों में जाकर औषधि भण्डार का सत्यापन करना। 3-कार्यालय औषधि भण्डार का कार्य सत्यापित करना।

02	चिकित्सालय के निरीक्षण से सम्बन्धित कार्य	1-चिकित्सालय में जाकर चिकित्सालय का निरीक्षण करना। 2-अधिकारियों/कर्मचारियों को मरीजों की चिकित्सा के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना।
03	राष्ट्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य	1- अधिकारियों/कर्मचारियों को क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम व स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना।
04	क्षेत्र में फैली महामारी, सम्बन्धित कार्य	1-क्षेत्र में फैली महामारी के लिये Genus Epidemicus उपलब्ध कराना तथा तत्सम्बन्धी दिशा निर्देश देना।
05	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	1-कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना व कर्मचारियों को निर्देश देना। 2-कार्यालय के स्टोर का भौतिक सत्यापन करना।

fpfdRI kf/kdkjh

01	चिकित्सालयों का संचालन	1-चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सा कार्य। 2-राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता। 3-कर्मचारियों के कार्यों का विभाजन। 4-अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियन्त्रण
----	------------------------	--

OkefI LV

01	औषधि वितरण कार्य	1-चिकित्साधिकारी द्वारा दी गई पर्ची के अनुसार औषधि वितरण। 2-औषधि एवं अन्य सामान/पंजिका का रख रखाव।
----	------------------	---

d{k I od

01	चिकित्सालयों के दैनिक कार्य	1- चिकित्साधिकारी एवं फार्मसिस्ट द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना। 2-रोगियों की देख भाल करना।
----	-----------------------------	--

LoPNd de pk&hinkj

01	सफाई व्यवस्था से सम्बन्धी कार्य	1-चिकित्सालय की सफाई करना। 2-चिकित्सालय की चौकीदारी करना।
----	---------------------------------	--

Annex 3/2

यस विषय में निम्नलिखित कार्य निर्धारित हैं: का.स.स. के अधीन आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

क्र.सं०	कार्य की प्रकृति	सम्बन्धित कार्य
1	वित्तीय मामले	वित्त हस्त पुस्तिका भाग 2-के खण्ड 2-4 के मूल नियम तथा सहायक नियम।
2	सेवा सम्बन्धी मामले	1-कर्मचारी आचार संहिता। 2-विभिन्न सेवा संवर्ग की सेवा नियमावलियाँ पेंशन नियम, सामान्य भविष्य निधि नियमावली।

Annex 4/2

निम्नलिखित कार्य तहसील स्तर पर निम्नलिखित तरीके से प्रारंभ किए जाएंगे:

- 1- तहसील के अनर्गत खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक 3 माह में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक होती है, जिसमें जनता का प्रतिनिधि/सदस्य ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख उपस्थित होकर जन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। क्षेत्र पंचायत की बैठक में अधिकारीगण भी उपस्थित रहते हैं।
- 2- प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है। जिसमें जनता की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण करते हैं।
- 3- जिला स्तर पर जिला पंचायत की बैठकों में अधिकारीगण उपस्थित होकर जन समस्याओं का यथा संभव निस्तारण करते हैं।

fcUn48½

fu.k; djus dh i fØ; k ¼i ; bsk.k , oa mRrjnkf; Op ds Lrj I fgr½

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अधिकारी, के लिपिक के द्वारा पत्रावलियाँ तैयार की जाती हैं इन पत्रावलियों की समीक्षा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अधिकारी, द्वारा की जाती है, तथा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अधिकारी, द्वारा अपने स्तर का निर्णय शासनादेशों के अन्तर्गत लिया जाता है कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यरत् चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण का जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, स्तर से किया जाता हैं। इस स्तर से इतर के निर्णय हेतु आख्या/संस्तुति के साथ पत्र/पत्रावली निदेशालय को सन्दर्भित की जाती हैं।

प्रेषक,

संख्या

:3135/सेक-15/पांच/96-39-94

श्री रमेश यादव ,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

होम्योपैथिक, उ०प्र०,

लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग -15

लखनऊ: दिनांक: 08नवम्बर 1996

fo"k; %& gkE; ki fFkd foHkkx ea ftyk gkE; ki fFkd fpfdRI kf/kdkjh , oa ftyk i Hkkjh

gkE; ki fFkd fpfdRI kf/kdkjh ds vf/kdkjka dk i frfu/kk; uA

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –नि0हो0/40/54/10182,दिनांक 22-6-1996 के सन्दर्भ में मुझे यह कहना का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में जनपद स्तर पर होम्योपैथिक विभाग में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारीचिकित्साधिकारी आदि के अधिकारों एवं कर्तव्यों का कोई अलग से मार्ग दर्शक नहीं है। शासनादेश संख्या-758/सेक-15/पाच-95-505/94 दिनांक 10 मार्च1995 द्वारा इन अधिकारियों का आहरण एवं वितरण का अधिकार दिया गया है।

इन अधिकारों के उपभोग के क्रम में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को सेवा सम्बन्धी अन्य अधिकार भी दिये जाने आवश्यक है ताकि जहां एक ओर जनपद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा –सम्बन्धी मामलों को त्वरित गति से निस्तारित कराया जा सके वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यों में भी गति लायी जा सके।

2- अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं जिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये जाते हैं-

1/1/pkf"kd xks uh; i fof"V; ka dk vduA

होम्योपैथिक विभाग के जनपद स्थित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार अंकित की जायेगी ।

Ø0 1 0	i n uke	i fo"Vdrkz vf/kdkjh	l eh{kk vf/kdkjh	Lohdrkz vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1-	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	निदेशक होम्योपैथिक	निदेशक होम्योपैथिक	सचिव ,चिकित्सा शिक्षा ।
2-	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

3-	चिकित्साधिकारी (जिला अस्पताल) (मुख्यालय को छोड़कर)	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	-तदैव-	निदेशक ,होम्योपैथिक
4-	चिकित्साधिकारी (जिलाअस्पताल) (मुख्यालय)	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	-तदैव -	-तदैव -
5-	भेषाजिक (जिलाअस्पताल) (मुख्यालय को छोड़कर)	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ।	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	निदेशक, होम्योपैथिक
6-	भेषाजिक जिलाअस्पताल, (मुख्यालय)	-तदैव -	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	निदेशक, होम्योपैथिक
7-	समूह "ग" एवं "घ" के पदोंपर,जिलाअस्पताल (मुख्यालय को छोड़कर)	-तदैव -	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	निदेशक / जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
8-	समूह "ग" एवं "घ" के पदोंपर,जिलाअस्पताल (मुख्यालय)	-तदैव -	जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी	निदेशक / जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी

1/2 1/2 vodka' k

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी – अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी की भी अन्य व्यवस्था होने तक आकस्मिक अवकाश की

स्वीकृति। अधीनस्थ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को 30 दिन तक के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति। अधीनस्थ समूह "ग" के कर्मचारियों को 90 दिन तक के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति समूह "घ" के कर्मचारियों को सभी प्रकार के अवकाश की पूरी स्वीकृति का अधिकार होगा।

ftyk iHkkjh fpdfRI kf/kdkjh – उपरोक्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की भौति जिला अस्पताल / मुख्यालय के सम्बन्ध में अधिकार होगा।

1/3 1/2 FkkukUrj .k

जिला चिकित्साधिकारी द्वारा अधीनस्थ समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों का जनपद के भीतर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु होम्योपैथिक फार्मसिस्ट का जनपद के भीतर स्थानान्तरण किया जा सकेगा किन्तु होम्योपैथिक फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण करने के पूर्व निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। जिला प्रभारी द्वारा जिला अस्पताल के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को संस्तुति करने का अधिकार होगा जिसके अनुसार आदेश जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

1/4 1/2 fu; Or i kf/kdkj

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय को छोड़कर जनपद के समस्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय के लिए समूह "घ" के पदों पर शासन पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी। समूह "घ" के पदों पर शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी समूह "घ" के पदों के लिए प्राधिकारी होंगे। जिला चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला प्रभारी समूह "घ" के पदों पर शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी जिला प्रभारी समूह "घ" के पद लिए नियुक्त प्राधिकारी होंगे।

1/5 1/2 vkj .k o forj .k&

शासनादेश संख्या-758/सेक-15/पांच-95-505/94, दिनांक 10-3-95 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकार।

1/6 1/2 ; k=k&HkRrk&

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय को छोड़कर अन्य कर्मचारियों / अधिकारिकों यात्रा-भत्ता बिलों के नियंत्रक अधिकारी।

जिला प्रभारी द्वारा जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को स्वयं के यात्रा-भत्ता बिलों का उस प्रकार उपयोग का अधिकार।

17 1/2 {krkjksd &

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय छोड़कर समूह "ग" व "घ" के कर्मचारियों की दवता रोक पार करने का पूर्ण अधिकार—जिला चिकित्सालय के लिए भी वही अधिकार।

18 1/2 udnhdj .k vodk'k dh Loh—fr &

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय अस्पताल को छोड़कर जनपद स्थित चिकित्साधिकारी एवं समूह 'ग' एवं घ: के कर्मचारियों के नकदीकरण की पूर्ण स्वीकृत का अधिकार। जिला प्रभारी को जिला चिकित्सालय के सम्बन्ध में यही अधिकार।

19 1/2 ys[ku l kexh &

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय स्थित अस्पताल को छोड़कर अन्य सभी होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए प्रति चिकित्सालय एक बार में अधिकतम तीन सौ रुपये तथा पूरे वर्ष में एक हजार रुपये अथवा आवंटित धनराशि की सीमा तक इस मद में व्यय कर सकेंगे। जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला स्थित अस्पताल के लिए इस व्यय को किये जाने का अधिकार होगा

10 1/2 vukor'd 0; ; dh Lohd'r @Hk.Mkj &

उपरोक्त लेखन सामग्री के लिए प्रदत्त अधिकार के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि अथवा विशेष रूप से आवंटित धनराशि की सीमा तक भण्डार क्रय के नियमों के अन्तर्गत।

11 1/2 M*x ykbl \$l 1/2gkE; ks \$Fkd vk\$kf/k; ka ds fodz; grq 1/2&

जनपद में होम्योपैथिक औषधियों के विक्रय हेतु ड्रग लाइसेंस निर्धारित फीस /प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा दिए जायेंगे।

13 1/2 j\$V4 , .M VDI u &

जिला चिकित्सालय स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय को छोड़कर जनपद के सभी चिकित्सालयों के लिए सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अधीन व स्वीकृति सीमा तक जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी को एवं जिला चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी अधिकार।

¼14½

¼15½ i fjokj dY; k.k dk; lde ds vlrxlr o\$ fDr d oru dh Lohdfr&

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को छोड़कर शेष के लिए जिला चिकित्सालय के लिए जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं जनपद के अन्य चिकित्सालयों के लिए कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।

3— उपरोक्त अधिकार तात्कालिक प्रभाव से जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये जा रहे जिन जनपदों में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित नहीं हैं व जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के अधिकारों का भी वहन किया जायेगा।

4— मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि होम्योपैथिक विभाग में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किये जाने के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्धारण आवश्यक है। अतएव उपरोक्त अधिकार प्रदान किये जाने के साथ—साथ जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारी निम्नानुसार कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं:—

(1½ ftyk gkE; kš fFkd fpfdRI kf/kdkjh &

1— जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी प्रतिनिधायनों के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2—ये अपने अधीन जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को दो माह में एक बार निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।

3— जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी अपने जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सुसंचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

4-जनपद के सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जो उनके अधीन हैं, में सेवित रोगियों की संख्या प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निदेशालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5-मासिक, आय-व्यय विवरण प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- अधीनस्थ समस्त राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक औषधियों की समुचित व्यवस्था हेतु आवंटित बजट की सीमा तक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारों से मांग पत्र प्राप्त कर तथा क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर दर अनुबन्ध के अनुसार तथा दर अनुबन्ध उपलब्ध न होने पर भण्डार क्रय नियमों के अधीन औषधियों का क्रय कार्यरत स्टाफ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का सामायिक आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

7.अधीनस्थ समस्त सभी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य के विपरित उपलब्धियों सूचना समय से निदेशालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

8.जिला योजना सम्बन्धी समस्त बैठकों में भाग लेने एवं तत्सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध कराने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के प्रस्तुतिकरण/धारणा हेतु कार्यवाही करेंगे तथा विषय अधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धी अधिकारियों से समन्वय बनाये रखेंगे।

9.अर्थ एवं संख्या विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनायें रखेंगे तथा सभी कार्यक्रमों में अपना पूर्ण योगदान देंगे।

10.निदेशालय द्वारा समय-समय पा मांगी गयी सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करें।

11.लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्नों का उत्तरालेख्य सभा से निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

12.शासन अथवा निदेशालय द्वारा समय-समय पर मार्गी जाने वाली सूचनाओं आदि का सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

1/2½ ftyk i Hkkjh fpdfRI kf/kdkjh

जिला होम्योपैथिक अधिकारी के उपरोक्त कर्तव्यों की भातिं जिला अस्पताल एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के सम्बन्ध में जिला प्रधान चिकित्साधिकारी के सभ यही कर्तव्य होंगे।

5.जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा इन अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि प्रतिनिधित्व किये जा रहे एवं अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ओर इस सम्बन्ध में किसी बिन्दु पर पूर्व में यदि कोई व्यवस्था की थी तो उसक तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
(रमेश यादव)
सचिव

संख्या:3135/सैंक-15/पांच-96-39-94,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महालेखाकार (प्रथम)उत्तर प्रदेश ,इलाहबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर सयुंक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0,।

- 5- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० ।
- 6- समस्त कोषाधिकारी उ०प्र० ।
- 7- समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक ,उ०प्र० ।
- 8- समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ,उ०प्र० ।
- 9- समस्त जिला प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी उ०प्र० ।
- 10- चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
- 11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से ,
(यशवर्द्धन सिन्हा)
उपसचिव

प्रेषक,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सेवामें,

निदेशक,
होम्योपैथिक विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-1(4),

देहरादून :

दिनांक : 15 दिसम्बर 2009

fo"k; %& mÙkj[k.k.M jkT; ea fpfdRI k f' k{kk , oa vk; ðk foHkkx ds v/khu gkE; ksi \$Fkd
fun's kky; , oa tui n Lrjh; I j pukRed <kps dk xBuA

क्र०	पदों का नाम	पूर्व में	वेतमान (रु० में)	अब	कुल स्वीकृ	अभ्युक्ति
------	-------------	-----------	-------------------	----	------------	-----------

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की कठिन भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सस्ती एवं कारगर होम्योपैथिक चिकित्सा को सुदृढ़ करने, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने तथा प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा तथा अनुसंधान कार्य को सुलभ कराने की आवश्यकताओं के दृष्टिगत होम्योपैथिक निदेशालय एवं जिला स्तरीय ढांचे हेतु पूर्व में सृजित पदों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढांचे का गठन प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की तथा नीचे उल्लिखित तालिका के कालम-5 में उल्लिखित निदेशालय तथा जनपद स्तर पर क्रमशः 22 तथा 22 (कुल 44) पदों को शासनादेश निर्गत करने की तिथि से दिनांक 28-12-2010 तक बर्षत कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायँ सृजित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुमन्य मंहगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के वेतमान रु० 15600-39100, में रु० 6600 के ग्रेड पे पर पूर्वतीय राज्य के अनुरूप तत्कालिक प्रभाव से शासनादेश निर्गत करने की तिथि से ही अनुमन्य होगा:-

सं०		स्वीकृत पदों की संख्या		स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या	त पदों का योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	—	वेतन बैंड 04—37400—67000 ग्रेड वेतन—8900	01	01	
2	संयुक्त निदेशक	—	वेतन बैंड 03—15600—39100 ग्रेड वेतन—7600 (12000—16500)	02	02	
3	उप निदेशक	—	वेतन बैंड 03—15600—39100, ग्रेड वेतन 8000 (10000—325—15200)	01	02	
4	लेखाधिकारी	—	वेतन बैंड 03—15600—39100, ग्रेड वेतन—5400 (8000—275—13500)	01	01	लेखा संवर्ग से
5	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	—	वेतन बैंड 02—9300—34800 ग्रेड, वेतन—4200 (5500—125—9000)	01	01	लेखा संवर्ग से
	लेखापरीक्षक	—	वेतन बैंड 01—5200—20200, ग्रेड वेतन—2800	01	01	लेखा संवर्ग से

			(4500-125-7000)			
6	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (निदेशक हेतु)	-	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 (5500-125-9000)	01	01	
7	आशुलिपिक ग्रेड-1 (संयुक्त निदेशक हेतु)	-	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 (5000-8000)	01	01	-
8	आशुलिपि ग्रेड-2 (संयुक्त निदेशक/उपनि देशक हेतु)	-	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2400 (4000-100-6000)	01	01	
9	प्रशासनिक अधिकारी-	-	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 (5000-8000)	01	01	-
10	चीफ फॉर्मासिस्ट	-	वेतन बैंड 02- 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200	01	01	-
11	लेखाकार	-	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 (5500-175-9000)	01	01	-
12	अनुवेषक कम संगणक	-	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड	01	01	-

			वेतन-4200 (5000-175-8000)			
13	सहायक लेखाकार	-	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2800 (4500-125-7000)	01	01	-
14	मुख्य सहायक	01	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2800 (4500-125-7000)	01	02	-
15	प्रवर सहायक	-	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2400 (4000-100-6000)	02	02	-
16	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यू टर ऑपरेटर	02	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-1900 (3050-4590)	01	03	-
17	वाहन चालक	-	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-1900 (3050-4590)	02	02	आउट सोसिंग से।
18	चपरासी	-	वेतन बैंड 01-S4440-7440, ग्रेड वेतन-1300 (2550-75-3200)	04	04	आउट सोसिंग से।

	कुल योग	03		22	25	(06 पद आउट सोर्सिंग से भरे जाने के कारण उक्त की गणना सृजित पदों के विरुद्ध नहीं की गई है।)
--	---------	----	--	----	----	--

tuin Lrj

क्र०सं०	पदों का नाम	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	अब स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों का योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	13	वेतन बैंड 03-15600-39100, ग्रेड वेतन-6600 (10000-325-15200)	-	13	
2	चिकित्साधिकारी	106	वेतन बैंड 03-15600-39100, ग्रेड वेतन-5400 (8000-275-13500)	-	106	
3	भेषजिक / फार्मसिस्ट	106	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2800 (4500-125-7000)	-	106	
4	प्रशासिक अधिकारी ग्रेड-2	0	वेतन बैंड 02-9300-34800, ग्रेड	01	01	

			वेतन-4200 (5000-150-8000)			
5	मुख्य सहायक	06	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2800 (4500-125-7000)	-	05	
6	प्रवर सहायक	07	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-2400 (4000-100-6000)	-	07	
7	कनिष्ठ सहायक	13	वेतन बैंड 01-5200-20200, ग्रेड वेतन-1900 (3050-4590)	-	13	
8	वाहन चालक	02	वेतन बैंड 01-एस0 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300(3050-4590)	11	13	02 पद पूर्व से सृजित हैं। स्वीकृत पदों व विपरीत कार्य की सीमा में इतर समस्त पद उपसुल/छंटनीशुदा कार्मिक से आउट सोर्सिंग व माध्यम से भरा जायेगा।
9	चपरासी	03	वेतन बैंड 01-एस0 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300(2550-3200)	10	13	समस्त रिक्त पद आउट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।
10	अर्दली	08	वेतन बैंड 01-एस0 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300 (2550-3200)	0	08	08 पद पूर्व से सृजित। समस्त रिक्त पद (आउटसोर्सिंग से भरे जाने है मृतक संवर्ग)।
11	स्वच्छककम चौकीदार	26	वेतन बैंड 01-एस0 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300 (2550-3200)	-	26	26 पद पूर्व से सृजित रिक्त पदों का कार्य आउटसोर्सिंग द्वारा (मृतक संवर्ग) कराया जायेगा।

12	वार्ड ब्वाय	73	वेतन बैंड 01-एस0 4440-7440, ग्रेड वेतन-1300 (2550-3200)	0	73	73 पद पूर्व से सृजित रिक्त पदों का कार्य आउटसोर्सिंग द्वारा (मृतक संवर्ग) कराया जायेगा।
	कुल पद	363		22	384	

3. उत्तराखण्ड में होम्योपैथिक विभाग के संरचनात्मक ढांचे का उक्तानुसार पुनगठन निम्न शर्तों के अधीन किया जा रहा है:-

1- होम्योपैथिक निदेशालय/जिला स्तरीय पुनर्गठित ढांचे से पूर्व स्वीकृत संवर्ग/पदनाम के किसी भी कर्मी को वर्तमान में प्राप्त वेतनमान से अधिक वेतनमान देय नहीं होगा। यदि किसी वेतनमान में विसंगति दृष्टिमान होती है, तो उसका निस्तारण शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

2- निदेशालय के ढांचे में सृजित नवीन पदों निदेशक, संयुक्त निदेशक व अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली में यथा संशोधन/नियमावली प्रख्यापित की जायेगी।

3- लेखा परीक्षा एवं आशुलिपिक संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार व्यवस्था की जा रही है। अतः राज्य सरकार की स्टाफिंग पैटर्न के शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था संगत सेवा नियमों में करके ही उक्त पैटर्न के अनुसार मात्राकृत पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

4- निदेशालय/जिला स्तरीय ढांचे में पूर्व से सृजित वाहन चालक के 02-02 पद सहित सभी रिक्त पदों पर पद नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही की जायेगी।

5- निदेशालय के ढांचे में सृजित चपरासी के 04 पदों तथा जिला स्तरीय ढांचे में अनुसेवक, के 13 पद, अर्दली के पूर्व के 08 पद, स्वच्छक कम चौकीदार 26, वार्डब्याय के 73 पदों के विपरीत समस्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही की जायेगी। उक्त सभी संवर्ग मृतक संवर्ग के होंगे।

6- उक्त पदों पर धारकों के वेतन के अलावा शासन से समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

7- उक्त पदों पर नियुक्तियां आवश्यकतानुसार एवं संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही किया जाय। उक्त पद पूर्णतः अस्थाई हे एवं इन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के शासन द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या-2716/XXVII(7)/2009 दिनांक 12 दिसम्बर,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव।

। a ; k % 884@XXVIII &2&2009&40@2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. वित्त अनुभाग-3/7।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

अनु सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,

उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवामें,

समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,

रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।

पत्रांक:-2285/नि0हो0/सु0दु0अतिदु0/2009-10 दिनांक 10 फरवरी 2010

fo"k; %& I fonk fpfdRI dka dks ekun\$ fn; s tkus grq I ke @nqk @vfr nqk

fpfdRI ky; ka ds fpUghd.j.k ds I EclU/k eA

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-637 /XXVIII(1) /2009-93/2008 दिनांक 19-08-2009 एवं इस कार्यालय क पत्र संख्या-793/नि0हो0/सं चि0 -मानदेय /2009-10 दिनांक 20-08-2009 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों, की संस्तुति के आधार पर सुगम/दुर्गम /अति दुर्गम चिकित्सालयों का चिन्नहीकरण किया जा रहा है। (छायाप्रति संलग्न)

कृपया तदनुसार अग्रिम कार्यावाही करने का कष्ट करें।

I ayXu&; Fkks fjA

Hkonh;

¼plnz fl g ui yP; ky½

funš kd

gkE; ks fFkd foHkkxka ea eškuh] nixle] vfr nqle dk fpUghdj .k

क्र० सं०	जनपद का नाम	जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्ताव				निदेशालय द्वारा प्रस्तावित / स्वीकृत
		चिकित्सालय का नाम	मैदानी क्षेत्र	दुर्गम	अति दुर्गम	
1	2	3	4	5	6	7
01	देहरादून	1. सचिवालय 2. विधान सभा 3. दून चिकित्सालय 4. ऋषिकेश 5. मसूरी 6. रायवाला 7. डोईवाला 8. भुडडी 9. छरवा 10. सभावाला 11. कालसी 12. चकराता 13. फनार 14. बसाया 15. हारवाला	हाँ हाँ हाँ हाँ — हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ — — — — —	— — — — — — — — — — — हाँ — — — —	— — — — — — — — — — — — हाँ — — — —	सुगम सुगम सुगम सुगम पर्वतीय सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम दुर्गम अतिदुर्गम अतिदुर्गम सुगम
02	पिथौरागढ़	1. धारचुला 2. मुन्सयारी 3. बेरीनाग 4. भौतड 5. लीलम	— — — — —	हाँ — हाँ हाँ —	— हाँ — — हाँ	दुर्गम अतिदुर्गम दुर्गम दुर्गम अतिदुर्गम

		6. कालीका 7. जिला चिकित्सालय	— हाँ	हाँ —	— —	दुर्गम दुर्गम
03	उधमसिंह नगर	1. खटीमा 2. बगुलिया 3. सितारगंज 4. किच्छा 5. रूद्रपुर 6. बाजपुर 7. काशीपुर	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ	— — — — — — —	— — — — — — —	सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम
04	नैनीताल	1. जिलाचिकित्सालय बी0डी0 पाण्डे 2. मा0 उच्च न्यायालय 3. पटवाडांर 4. हल्द्वानी 5. रामनगर 6. बसानी 7. कुवंरपुर 8. हरीशताल 9. पदमपुरी 10. बेतालघाट	हाँ — — — हाँ हाँ — — — —	— — — — — — — — हाँ हाँ	— — — — — — — — हाँ —	सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम अति दुर्गम दुर्गम दुर्गम
05	टिहरी	1. बुढनालस्या 2. कुम्भशीला 3. हिन्डोलाखल 4. ओडाडा 5. कठूड 6. नरेन्द्रनगर 7. मुनीकीरेती 8. द्वारगढ 9. काटल 10. नागराजाधार 11. पिलखी 12. नई टिहरी	— — — — — — — — — — हाँ —	हाँ हाँ हाँ — हाँ — — — — हाँ हाँ हाँ —	— — — हाँ — — — — — — — —	दुर्गम दुर्गम दुर्गम अति दुर्गम दुर्गम सुगम सुगम दुर्गम दुर्गम दुर्गम सुगम सुगम
06	अल्मोड़ा	1. रानीखेत 2. मठखानी 3. खीड़ा 4. तडागताल 5. गणनाथ 6. गुमौंडी 7. संगरोली 8. चौंसली 9. जैती 10. भिकियासैण	— — — — — — — — — —	— — हाँ हाँ — — — — — —	— हाँ — — — — — — — —	सुगम अतिदुर्गम दुर्गम दुर्गम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम सुगम
07	चम्पावत	1. जिला चिकित्सालय 2. लोहाघाट 3. मडुवा	— — —	— हाँ हाँ	— — —	सुगम दुर्गम दुर्गम

08	चमोली	1. जिला चिकित्सालय 2. जोशीमठ 3. पाखी 4. कार्णप्रयाग 5. घाट 6. निजमुल्ला 7. पैनगढ़	— — — — — — —	— — हॉ हॉ हॉहॉ हॉ हॉ	— हॉ — — — — —	सुगम अतिदुर्गम दुर्गम दुर्गम दुर्गम दुर्गम दुर्गम
09	उत्तरकाशी	1. जिला चिकित्सालय 2. नौगांव 3. पुरोला 4. स्यालना 5. मसरी 6. जान्दणू	— — — — — —	— हॉ हॉ — — — —	— — — हॉ हॉ हॉ हॉ	सुगम दुर्गम दुर्गम दुर्गम अति दुर्गम अति दुर्गम अति दुर्गम
10	रूद्रप्रयाग	1. रा0हो0चि0 जिला चि0 रूद्रप्रयाग 2. रा0हो0चि0सा0स्वा0के0 अगस्तमुनि 3. रा0हो0चि0मणिपुर 4. रा0हो0चि0नारायणकोटि 5. रा0हो0चि0 बुठना लस्या	— — — — —	— हॉ हॉ हॉ हॉ	— — — — —	सुगम दुर्गम दुर्गम दुर्गम दुर्गम
11	पौड़ी	1. रा0हो0चि0 जिला चि0 पौड़ी 2. रा0हो0चि0 पावों 3. रा0हो0चि0 ब्यासघाट 4. रा0हो0चि0 श्रीनगर 5. रा0हो0चि0 कोटद्वार 6. रा0हो0चि0 पैठाणी 7. रा0हो0चि0 बजवाड़ 8. रा0हो0चि0राधा बल्लभपुरम 9. रा0हो0चि0 नैनीडांडा	— — — — — — — — —	— हॉ हॉ — — हॉ हॉ हॉ हॉ	— — — — — — — — —	सुगम दुर्गम दुर्गम सुगम सुगम दुर्गम दुर्गम दुर्गम दुर्गम

प्रेषक,

निदेशक,

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,

उत्तराखण्ड।

सेवामें,

समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,

उत्तराखण्ड।

पत्रांक:— 2799 /नि0 हो0/एनआरएचएम-632/2010-11 दिनांक 25 मई, 2010

fc" k; %& vk; ðk foæ ea cgµnn'ns' kh; dfez; ka dh rðukrh ds | Ecu/k ea

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-591/XXVIII(I)-2008-27/2007 दिनांक 30-05-2008, पत्र संख्या-181/XXVIII-4(1)-2010-27-2007 टी0सी0 दिनांक 09-03-2010 एवं पत्र संख्या -1002/XXVIII(1)/2009-162-2009 दिनांक 04-12-2009 का अवलोकन करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयुष विंग के अन्तर्गत स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालयों में बहुद्देशीय कर्मियों (M.P.W.) की तैनाती किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः आपको अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों का भली-भांति अध्ययन करते हुए उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर तैनाती संबंधी प्रक्रिया सम्पादित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(भवदीय)

(डा0 बी0सी0 लखेड़ा)

निदेशक।

पत्रांक:- /नि0हो0/एनआरएचएम-632/2010-11तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुष, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0सी0 लखेड़ा)

निदेशक।

संख्या-1002/XXVIII(1)/2009-162-2009

प्रेषक,

केशव देसिराजु,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,

उत्तराखण्ड देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1

देहरादून:

दिनांक

04

दिसम्बर,2009

fc"k; %& , u0vkj0, p0, e0@vk; ¶k ds vUrxr foRrh; o"kl 2009&10] grq inka dh

Loh-fr

ds I ECU/k eA

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2047/नि0हो0/एन0आर0एच0एम0/2009-10, दिनांक 20 नवम्बर,2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष विंग की स्थापना हेतु निम्न प्रकार से चिकित्सकों, फार्मसिस्टों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा पर नियुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं औषधियों की आपूर्ति पूर्णतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत किया जायेगा:-

क्र0 सं0	पदनाम	मासिक मानदेय प्रतिमाह	पदों की संख्या	आयु दिनांक 01 जुलाई, 2009	योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्सक	15000	32	50 वर्ष	अनिवार्य:- विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से होम्योपैथिक चिकित्सक को स्नातक उपाधि जिसकी पठन की अवधि 05 वर्ष से कम न हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से होम्योपैथिक में मान्य डिप्लोमा जिसका पठन अवधि 04 वर्ष से कम न हो।

2	भेषजिक	8000	32	50 वर्ष	अनिवार्य:- 1- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०/उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हों। 2- अनुरक्षित संस्था में एक वर्ष का होम्योपैथिक कम्पाउन्डर/भेषजिक प्रशिक्षित पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में होम्योपैथिक कम्पाउन्डर का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो या होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद द्वारा समुचित रूप से निबन्धित मेडिकल प्रैक्टिशन के अधीन तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।
3	एम०पी०डब्लू	4000	32	18 से 35	जूनियर हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2- p; u if0; k% चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा।

- | | |
|---|----------|
| 1- निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, | अध्यक्ष। |
| 2- उपनिदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, | सदस्य। |
| 3- शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य। |
| 4- डा० मीना रावत, चिकित्साधिकारी, रा० हो० चि० मसूरी | सदस्य। |
| 5- डा० बी०एस० कनवासी, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पौड़ी। | सदस्य। |

3- चिकित्सकों, भेषजिकों एवं एम०पी०डब्लू० के पदों हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित जारी किया जायेगा। जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त करके चयन समिति इसका परीक्षण करेगी।

4- होम्योपैथिक चिकित्सकों का चयन भी मेरिट के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए होम्योपैथी में डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में प्रतिपूरक प्रयास के 2 अंक न्यून कर दिये जायेंगे। प्रति अभ्यर्थी 100 अंकों की मार्किंग की जायेगी। जिसमें 90 अंक डिग्री के आधार पर तथा 10 अंक साक्षात्कार के आधार पर दिये जायेंगे। स्नातकोत्तर उपाधि **Clinical/non Clinical** पर अधिमान के रूप में 05 अतिरिक्त दिये जायेंगे।

- 5- होम्योपैथिक विभाग में प्रचलित चिकित्सकों की सेवा नियमावली में शैक्षिक अर्हता वर्तमान में स्थापित किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड से होम्योपैथिक में उपाधि डिग्री/डिप्लोमा एवं उत्तराखण्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त होना चाहिये।
- 6- भेषजिक एवं एम0पी0डब्लू की नियुक्ति हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा समिति का गठन किया जायेगा।
- 7- संविदा पर चयन की पूर्ण प्रक्रिया में आरक्षण के नियम प्रभावी होंगे।
- 8- भेषजिक नियुक्ति: भेषजिकों हेतु सेवा नियमावली के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हों। अथवा, अनुरक्षित संस्था में एक वर्ष का होम्योपैथिक कम्पाउन्डर/भेषजिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में होम्योपैथिक कम्पाउन्डर का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो या होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद द्वारा समुचित रूप से निबन्धित मेडिकल प्रैक्टिशन के अधीन तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया होना चाहिये। साक्षात्कार हेतु सम्पूर्ण 100 अंक निर्धारित किये जायेंगे। समूह 'ग' की अर्हता अनुसार सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन आवश्यक होगा।
- 9- एम0पी0डब्लू की नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 880/XXX-(2)/2004-55 (39)/2004 दिनांक 14 जून 2004 लागू होगी।

भवदीय
(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव।

। ढ ; k&1002%2%@xxviii(1)@2009&162@2009 rnfukdA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

स्वीकृत पदों का विवरण

स्वीकृत पद पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम

शासन द्वारा स्वीकृत पद नाम/चिकित्सालय

वेतन मान

स्वीकृत पदों का विवरण

क्र०सं०	स्वीकृत पद पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत पद नाम/चिकित्सालय	वेतन मान	स्वीकृत पदों का विवरण		
				स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	डा० एस० एन० रतूड़ी मो०नं०- 9719354987	जिला होम्यो चि० अधिकारी	15,600-39,100	1	1	-
2.	डा० सोहन सिंह बुटोला मो०नं०- 7830326060	होम्यो चि० जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग।	15,600-39,100	1	1	-
3.	डा० प्रदीप कुमार डबराल मो०नं०- 7830307890	होम्यो चिकित्सक, रा० हो० चि० अगस्थमुनि।	15,600-39,100	1	1	-
4.	डा० प्रदीप सिंह मो०नं०-9927939367	होम्यो चिकित्सक अधिकारी रा० हो० चि० नारायणकोटी	15,600-39,100	1	1	-
5.	डा० सीमा मो०नं०- 8650776927	होम्यो चिकित्सक संविदा, रा० हो० चि० बुढना-लस्या।	15,600-39,100	1	1	-
6.	डा० ब्रजेश कुमार चौबे मो०नं०- 9536938004	चिकित्सा अधिकारी रा० हो० चि० मणिपुर	24,000.00 फिक्स पे	1	1	-

भेषजिक

क्र० सं०	स्वीकृत पद पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत पद नाम/चिकित्सालय	वेतन मान	स्वीकृत पदों का विवरण		
				स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	श्री राधवानन्द भट्ट	रा० हो० चि० जिला अस्पताल 1रुद्रप्रयाग।	9300-34800	1	1	-
2.	श्री अजय कांत गैरोला	रा० होम्यो चि० अगस्त्यमुनि।	5200-20200	1	1	-
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह बुटोला	रा० होम्यो चि० बुढना (लस्या)	5200-20200	1	1	-
4.	रिक्त	रा० होम्यो चि० नारायणकोटी		1	-	1

5.	रिक्त	रा० होम्यो० चि० मणिपुर	1	—	1
----	-------	---------------------------	---	---	---

प्रतिदिन			वेतनमान	स्वी० पद	भरे पद	रिक्तपद
1.	रिक्त	जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी	150 / प्रतिदिन	2	2
2.	रिक्त	राजकीय होम्योपैथिक जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग।	2550—3200	1	1
3.	रिक्त	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय अगस्थमुनि।	2550—3200	1	1
4.	श्री मेहरबान सिंह रावत	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय मणिपुर	2550—3200	1	1
5.	रिक्त	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय नाराणकोटि।	2550—3200	1	1
6.	रिक्त	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बुढ़ना (लस्या)	2550—3200			

अनुसूची

अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम वेतनमान मूल वेतन मंहगाई भत्ता सी०पी०ए० अन्य भत्ते मंहगाई वेतन योग

क्र० स०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	सी०पी०ए०	अन्य भत्ते	मंहगाई वेतन	योग
1.	डा० एस० एन० रतूडी	जि०होम्यो०चि० अधिकारी	15600—39100	39630.00	25760.00	—	3840.00	—	69230.00
2.	डा० सोहन सिंह बुटोला	चिकित्साधिकारी	15600—39100	21630.00	14060.00	4478.00	3240.00	—	43408.00
3.	डा० प्रदीप कुमार डबराल	चिकित्साधिकारी	15600—39100	21630.00	14060.00	4478.00	2700.00	—	42868.00
4.	डा० प्रदीप सिंह	चिकित्साधिकारी	15600—39100	21630.00	14060.00	4478.00	2700.00	—	42868.00
5.	डा० सीमा	चिकित्साधिकारी	15600—39100	21630.00	14060.00	4478.00	2700.00	—	42868.00
फार्मसिस्ट									
1.	श्री राघवानन्द भट्ट	फार्मसिस्ट	9300—34800	20750.00	13488.00	—	2520.00	—	36758.00
2.	श्री अजय कांत गैरोला	फार्मसिस्ट	5200—20200	13200.00	8580.00	2732.00	1400.00	—	25912.00
3.	श्री शैलेन्द्रसिंह बुटोला	फार्मसिस्ट	5200—20200	13200.00	8580.00	2732.00	1400.00	—	25912.00
अधिकारी									

dk; ky;									
1.	श्री प्रीतम सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	8210.00	5337.00	1690.00	1140.00	—	16375.00
d{k l od									
1.	श्री मेहरबान सिंह रावत	कक्ष सेवक	5200-20200	9690.00	6299.00	—	950.00	—	16939.00

fclnq%11½

iR; d vfhkdj.k %Agency% dks vkofVr otV , oa 0; ; iLrkvk%1 Hkh ; kstukvk% dk foofj.k%&

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय अधिष्ठान एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वेतन देयकों के भुगतान हेतु बजट आवंटित होता है। वर्ष 2009-10 में तक प्राप्त बजट व्यय तथा अवशेष धनराशि का विवरण लेखाशीर्षक वार निम्नवत् है।

प्रेषक

जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सेवा में

निदेशक
होम्योपैथिक सेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून ।

संख्या –डी0एच0एम0ओ0 / बजट समर्पण / 2009.2010 /

दिनांक 31.03.2010

fo"k; & fofRr; o"kl 2009-2010 tuin #ni z kx % 01 vDVcj 09 l s 31 ekpl 2010 rd % ds
vo' ksk

ctV l ei zk ds l Ecu/k eA

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण शासन (वित्त बै0आ0सा0नि0) अनु-7 संख्या 292XXVII डी0डी0ओ0 / 2009 देहरादून दिनांक सितम्बर 2009 एवं निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सालय सेवाय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 -713 / नि0हो0 / डी0डी0ओ0 / 2009-2010 दिनांक 25 जुलाई 2009 के क्रम में जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय अधिकारी, रुद्रप्रयाग को आहरण वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी फलस्वरूप 01 अक्टूबर 2009 से जनपद रुद्रप्रयाग से आहरण वितरण प्रारम्भ हो गया था।

अतः जनपद रुद्रप्रयाग के निम्नलिखित योजनाओं में से आवंटित बजट के बिपरीत एवं समर्पित अवशेष धनराशि का विवरण संलग्न प्रपत्र पर दिया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

1- ग्रामीण आयोजनेत्तर

2- शहरी आयोजनागत

भवदीय

(डा0 एस0एन0 रतूडी)

अधिकारी

पत्रांक व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि 1— वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

2—रिकार्ड फाइल।

जिला होम्योप्योथिक चिकित्सा

रुद्रप्रयाग

जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी

रुद्रप्रयाग

foRrh; o'kz 2011&12 es foHkUu ekud enka ea vkoVr /kujkf'k ds fo#} 0; ; @ cor W eiZk½

I Ecu/kh foqj .kA

- 2210- चिकित्सालय तथा लोक स्वास्थ्य
 02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें, अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ
 102- होम्योपैथी
 04- अस्पताल और औषधालय
 01- होम्योपैथिक चिकित्सालय

Ø0 I Ø	ekud en	foRrh; o'kz 2011&12 es dgy vkoVr/u	i fke l eiZk fnukd 11-01- 2012	okLrfod vo ksk	31-03-2012 rd okLrfod 0; ;	foRrh; o'kz 2011&12 es cpr@l efi r /kujkf k
01	02	03	04	05	06	07
01	01-वेतन	11,35,000.00	-	11,35,000.00	10,44,688.00	90,312.00
02	02-मजदूरी	-	-	-	-	-
03	03-मंहगाई भत्ता	6,97,000.00	1,30,000	5,67,000.00	5,72,942.00	-5942.00
04	04-यात्रा भत्ता	25,000.00	-	25,000.00	18,716.00	6,284.00
05	05-स्था0यात्रा भत्ता	-	-	-	-	-
06	06-अन्य भत्ता	1,40,000.00	3920.00	1,36,080.00	1,24,560.00	11,520.00
07	08-कार्यालय व्यय	15000.00	-	15000.00	15000.00	-
08	09-विद्युत व्यय	-	-	-	-	-
09	11-लेखन सामग्री	10000.00	-	10000.00	10000.00	-
10	12-कार्यालय फर्नीचर	-	-	-	-	-
11	13-टेलीफोन व्यय	9000.00	2648.00	6352.00	5206.00	1146.00
12	15-मो0गाड़ियों का अनु0/पेट्रोल	65000.00	-	65,000.00	64,801.00	199.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	74,000.00	-	74,000.00	68,600.00	5400.00
14	17-किराया उपशुल्क	-	-	-	-	-
15	26-मशीनें साज-सज्जा	-	-	-	-	-
16	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	-	-	-
17	39-औषधि तथा रसायन	80,000.00	-	80,000.00	79,941.00	59.00
18	42-अन्य व्यय	25,000.00	-	25,000.00	24,912.00	88.00
19	46-कम्प्यूटर हार्ड/सोफ्टवेयर	-	-	-	-	-
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी	5000.00	-	5000.00	4950.00	50.00
21	48-मंहगाई वेतन	-	-	-	-	-
	; kx	22]80]000-00	1]36]568-00	21]43]432- 00	20]34]316-00	1]09]116-00

ft yk gkE; ki fFkd
 fpfdRI kf/kdkjh

#niz kxA

foRrh; o'kz 2011&12 es foHkUu ekud enka es/kofVr /kujkf k ds fo#) 0; ; @cpr % eiZk½

I ECU/kh forj.k

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

101—होम्योपैथी

03—अस्पताल में औषधालय

01—होम्योपैथिक चिकित्सालय

Ø0 l Ø	ekud en	foRrh; o'kz 2011&12 es dly vko¼u	i Fke l eiZk fnukad 11-01- 2012	okLrfod vo k'sk	31-03-2012 rd okLrfod 0; ;	foRrh; o'kz 2011&12 es cpr@l efi r /kujkf k
01	02	03	04	05	06	07
01	01—वेतन	15,30,000.00	—	1135000.00	14,27,508.00	1,02,492.00
02	02—मजदूरी	—	—	—	—	—
03	03—मंहगाई भत्ता	7,30,000.00	55,800.00	6,74,200.00	6,58,231.00	15,696.00
04	04—यात्रा भत्ता	20,000.00	5000.00	15000.00	9613.00	5387.00
05	05—स्था0यात्रा भत्ता	—	—	—	—	—
06	06—अन्य भत्ता	1,46,000.00	—	1,46,000.00	1,29,150.00	16,850.00
07	08—कार्यलयव्यय	15000.00	—	15000.00	15000.00	—
08	09— विद्युतव्यय	—	—	—	—	—
09	11—लेखनसामग्री	20,000.00	—	20,000.00	20,00.00	—
10	12—कार्यालय फर्नीचर	50,000.00	—	50,000.00	49,600.00	400.00
11	13—टेलीफोनव्यय	—	—	—	—	—
12	15—मो0 गाडियों का अनु0/पेट्रोल	—	—	—	—	—
13	16—ब्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	—	—	—	—	—
14	17—किराया उप शुल्क	15,000.00	—	15000.00	14,100.00	900.00
15	26—मशीनें साज सज्जा	—	—	—	—	—
16	27—चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति	40,000.00	—	40,000.00	23,580.00	16,420.00
17	39—औषधि तथारसायन	60,000.00	—	60,000.0	58,904.00	1096.00
18	42—अन्य व्यय	40,000.00	5000.00	35,000.00	34,521.00	479.00
19	46—कम्प्यूटर हार्ड / सॉफ्टवेयर	—	—	—	—	—
20	47—कम्प्यूटर अनुश्रवण/ स्टेशनरी	—	—	—	—	—
21	48—मंहगाई वेतन	—	—	—	—	—
	; ksx	26]66]000-00	65]800-00	26]00]200-00	24]40]207-00	1]59]993-00

'kkI unsk I d; k&744@xxxx@2012&59@2010 fnukd 25t,ykb] 2012
1& gkE; kI fFkd fpfdRI ky; ka dk Hkou fuekZ k A

(धनराशि रू0 लाख में)

Ø0I	tuin dk uke	dny ifj0; ;	, l 0I h0, l 0	Vh0, l 0i h0	voeDr /kujkf' k		
					I kekl;	, l 0 l h0 i h0	Vh0, l 0 i h0
1	2	3	4		5	6	7
1	रुद्रप्रयाग	32.00 लाख	—	—	8.00 लाख	—	—

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

tuin% : nã z kx ea l for jkfx; kã dk fooj .kA o'kz 2007

वर्ष	माह	रोहोचि मणिपुर			रा हो चि नारायणकोटी			राहोचि जनपद चि रुद्रप्रयाग			राहोचि, प्रास्वाकेन्द्र अगस्तमुनी		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2007	जनवरी 2007	102	175	277	182	84	266	142	167	309	70	50	120
	फरवरी 2007	152	134	286	185	117	302	138	165	303	70	50	120
	मार्च 2007	154	112	266	194	129	323	188	168	356	80	50	130
	अप्रैल 2007	168	234	402	218	151	369	185	154	339	110	27	137
	मई 2007	162	212	374	232	183	415	265	199	464	88	30	118
	जून 2007	110	148	258	213	186	399	234	216	450	100	46	146
	जुलाई 2007	108	148	256	185	173	358	243	221	464	78	24	102
	अगस्त 2007	76	111	187	198	165	363	267	235	502	98	16	114
	सितम्बर 2007	60	70	130	155	155	310	168	172	340	78	22	100
	अक्टूबर 2007	70	60	130	152	143	295	271	328	599	93	23	116
	नवम्बर 2007	82	76	158	148	133	281	167	119	286	92	30	122
	दिसम्बर 2007	125	132	257	235	266	501	219	210	429	74	10	84
	कुल योग	1369	1612	2981	2297	1885	4182	2487	2354	4841	1103	378	1409

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

tuin% : nã z; kx ea l for jkfx; ka dk fooj .kA o' kZ 2008

वर्ष	माह	रा०हो०चि० मणिपुर			रा० हो० चि० नारायणकोटी			रा०हो०चि० जनपद चि० रुद्रप्रयाग			रा०हो०चि०,प्रा०स्वा०केन्द्र अगस्तमुनी		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2008	जनवरी 2008	150	186	336	231	309	540	267	195	462	21	64	85
	फरवरी 2008	163	185	348	216	263	479	236	219	455	135	60	195
	मार्च 2008	154	136	290	220	223	443	257	339	596	142	80	222
	अप्रैल 2008	190	177	367	236	241	477	243	225	468	116	50	166
	मई 2008	190	176	366	246	266	512	363	281	466	130	64	194
	जून 2008	167	153	320	228	232	460	320	260	580	198	80	278
	जुलाई 2008	184	176	360	245	255	500	342	293	635	130	60	190
	अगस्त 2008	187	150	337	218	231	449	185	206	391	127	60	187
	सितम्बर 2008	190	159	349	196	272	468	279	242	539	82	45	127
	अक्टूबर 2008	166	136	302	179	231	410	215	176	391	48	15	63
	नवम्बर 2008	169	136	305	185	245	430	151	138	289	90	50	140
	दिसम्बर 2008	165	140	305	175	225	400	263	208	471	96	62	158
	कुल योग	2075	1410	3985	2575	2993	5568	3139	2782	5921	1358	647	2005

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

tuin% : nã z; kx ea l for jkfx; ka dk foaj .kA o' kZ 2009

वर्ष	माह	रा०हो०चि० मणिपुर			रा० हो० चि० नारायणकोटी			रा०हो०चि० जनपद चि० रुद्रप्रयाग			रा०हो०चि०,प्रा०स्वा०केंद्र अगस्तमुनी		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2009	जनवरी 2009	180	162	342	215	277	492	276	175	451	110	70	180
	फरवरी 2009	167	140	302	206	244	450	120	279	399	90	60	150
	मार्च 2009	176	165	341	242	243	485	196	192	388	150	110	260
	अप्रैल 2009	188	166	354	240	263	503	203	178	318	106	70	176
	मई 2009	192	181	373	123	253	376	194	181	375	102	59	161
	जून 2009	221	195	416	237	247	484	210	168	378	152	80	232
	जुलाई 2009	218	190	408	231	234	465	219	208	427	160	90	250
	अगस्त 2009	154	146	300	200	206	406	252	206	458	148	86	234
	सितम्बर 2009	178	138	316	184	202	386	230	200	430	186	130	316
	अक्टूबर 2009	158	123	281	189	201	390	202	158	360	161	96	257
	नवम्बर 2009	143	102	245	201	196	397	228	187	415	115	100	215
	दिसम्बर 2009	144	99	243	222	234	456	232	185	417	124	70	194
	कुल योग	2114	1807	3921	2490	2800	5290	2562	2317	4879	1604	1021	2625

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

tuin% : nã z; kx ea l for jkfx; ka dk fooj .ka o' kZ 2010

वर्ष	माह	रा०हो०चि० मणिपुर			रा०हो०चि० नारायणकोटी			रा०हो०चि० जनपद चि० रुद्रप्रयाग			रा०हो०चि० प्रा०स्वा० केन्द्र अगस्तमुनी			रा०हो०चि० बुढना लस्या		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2010	जनवरी 2010	128	104	232	144	159	303	221	188	409	94	68	162			
	फरवरी 2010	115	98	213	136	171	307	199	161	360	103	74	177			
	मार्च 2010	126	106	232	188	197	385	212	205	417	190	130	320			
	अप्रैल 2010	137	135	272	134	147	281	227	176	403	195	160	255			
	मई 2010	125	143	268	238	207	445	252	192	444	203	175	378			
	जून 2010	148	140	288	247	221	468	268	218	486	185	165	350	185	200	385
	जुलाई 2010	138	95	233	282	246	528	277	176	453	203	190	393	262	122	384
	अगस्त 2010	138	95	233	252	239	491	276	171	447	166	120	286	177	109	286
	सितम्बर 2010	128	104	232	239	219	468	212	160	372	194	120	314	176	122	198
	अक्टूबर 2010	148	88	236	217	235	452	203	148	351	113	70	183	189	120	309
	नवम्बर 2010	175	57	232	210	160	370	180	171	351	80	50	130	181	96	277
	दिसम्बर 2010	154	80	234	213	184	397	268	186	454	112	60	172	148	74	222
	कुल योग	1660	1245	2905	2500	2385	4895	2795	2152	4947	1838	1382	3120	1318	843	2061

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

tuin% : nã z; kx ea l for jkfx; ka dk fooj .kA o' kZ 2011

वर्ष	माह	रा०हो०चि० मणिपुर			रा०हो०चि० नारायणकोटी			रा०हो०चि० जनपद चि० रुद्रप्रयाग			रा०हो०चि० प्रा०स्वा० केन्द्र अगस्तमुनी			रा०हो०चि० बुढना लस्या		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2011	जनवरी 2011	82	65	147	201	123	234	279	192	471	88	55	143	119	75	194
	फरवरी 2011	88	57	145	184	99	283	228	167	395	94	56	150	117	90	207
	मार्च 2011	121	72	193	255	176	431	250	194	444	128	75	203	148	106	254
	अप्रैल 2011	117	98	215	162	135	297	265	230	495	150	85	235	160	104	264
	मई 2011	146	109	255	208	173	381	352	374	726	164	110	274	202	126	328
	जून 2011	155	140	295	208	115	323	340	350	690	140	110	250	206	117	323
	जुलाई 2011	126	122	248	232	172	404	326	279	605	275	170	445	227	141	368
	अगस्त 2011	154	103	257	201	121	322	274	270	544	252	143	395	219	105	324
	सितम्बर 2011	154	103	157	270	162	432	276	244	520	145	137	282	231	134	365
	अक्टूबर 2011	158	95	253	210	162	372	264	242	506	102	117	220	171	112	283
	नवम्बर 2011	97	68	165	200	115	315	253	232	485	127	155	382	208	92	300
	दिसम्बर 2011	154	77	231	202	110	312	236	240	476	130	132	262	242	96	338
	कुल योग	1552	1109	2561	2533	1663	4106	3343	3014	6357	1795	1345	3241	2250	1298	3548

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

tuin% : nã z; kx ea l for jkfx; ka dk fooj .kA tgykb] 2012 rd

वर्ष	माह	रा०हो०चि० मणिपुर			रा०हो०चि० नारायणकोटी			रा०हो०चि० जनपद चि० रुद्रप्रयाग			रा०हो०चि० प्रा०स्वा० केन्द्र अगस्तमुनी			रा०हो०चि० बुढना लस्या		
		नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग	नये रोगी	पुराने रोगी	योग
वर्ष 2012	जनवरी 2012	204	119	323	165	87	252	202	204	406	100	120	220	147	88	235
	फरवरी 2012	160	76	236	157	93	250	210	212	422	105	133	238	203	76	279
	मार्च 2012	124	92	216	224	117	341	244	253	497	141	119	260	204	88	292
	अप्रैल 2012	137	98	235	218	83	301	302	285	587	121	94	215	200	105	305
	मई 2012	153	133	286	191	111	302	347	273	620	172	132	304	209	133	342
	जून 2012	129	93	212	139	140	279	314	280	594	157	113	270	180	111	291
	जुलाई 2012	148	103	251	238	85	323	298	295	593	198	113	311	198	106	304
	कुल योग	1055	714	1759	1332	716	2048	1917	1802	3719	994	824	1818	1241	707	2048

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

प्रेषक:- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी रुद्रप्रयाग ।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक: डी०एच०एम०ओ० / अ०आ०ग्रा०यो० / 2010-11 / 16

दिनांक 14.05.2010

fo" k; %& vVy vkn' k xke ; kst uk ¼, u0vkj0, p0, e0 ; kst uk ds vllrx'r ½ ds rgr
gk&; ki \$Fkd fpfdRI k dlnz Lohd'r fd; s tkus ds l Ecl/k ea i h0vkbDi h0

महोदय,

उपरोक्त विषयक योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद रुद्रप्रयाग की पी०आई०पी० निम्न प्रकार प्रेषित हैं-
जनपद रुद्रप्रयाग ।

क्र० सं०	विकास खण्ड	कार्यदायी संस्था / न्याय पंचायत का नाम	कर्मचारीयों की संख्या	ग्राम सभाओं की संख्या	कुल जनसंख्या
1.	ऊखीमठ	1. रा०हो०चि० मनसूना	1.चिकित्साधिकारी 2.फार्मसिष्ट 3.एम०पी०डब्लू०	13	7266
		2. रा०हो०चि० फाटा	1.चिकित्साधिकारी 2.फार्मसिष्ट 3.एम०पी०डब्लू०	10	11708
2.	जखोली	1. रा०हो०चि० बजीरा	1.चिकित्साधिकारी 2.फार्मसिष्ट 3.एम०पी०डब्लू०	21	13253
3.	अगस्त्यमुनि	1. रा०हो०चि० चोपता	1.चिकित्साधिकारी 2.फार्मसिष्ट 3.एम०पी०डब्लू०	12	8453
		2.रा०हो०चि० काण्डाई	1.चिकित्साधिकारी 2.फार्मसिष्ट 3.एम०पी०डब्लू०	12	6074

उपरोक्त सभी चिकित्सालय अटल आदर्श ग्रामों में ही प्रस्तावित किये जा रहे हैं तथा अंकित कुल जनसंख्या के अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या भी लाभाविन्त होगी।

अतः आपकी सेवा में पी०आई०पी० प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय

जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
रुद्रप्रयाग

fcln&12

vunku@jkt; I gk; rk dk; Øeka %ubsidy programmes) ds fØ; kll; u dh jhfr] ftl ea vkofVr jkf' k vkj , s s dk; Øeka ds ykHkkfFk; ka ds C; kj s I fEefyr g&&

उक्त से सम्बन्धित सूचना शून्य।

fcln&13

fj ; k; rk] vukki =ka rFkk i kf/kdkjka ds i kfIrdrk&ka ds I ECU/k ea fooj . k%&

उक्त से सम्बन्धित सूचना शून्य

fcln&14

-R; ka ds fuokgu ds fy, LFkfi r ekud fu; e%&

शासन द्वारा निर्धारित आदेश एवं नियम।

fdln&15

fdl h byDVkfud ds : i ea mi yC/k I puk ds l ECU/k ea C; kJ %&

कम्प्यूटर है, किन्तु वैबसाईड नहीं हैं।

fdln&16

I puk vfHki klr djus ds fy; s ukxfjdka dks mi yC/k I fo/kkvka dk fooj.kA fdl h i qrdky; ; k
okpu d{k dh ; fn ykd mi ; ksx ds fy, 0; oLFkk dh x; h gks rks ml dk Hkh fooj.k%&

कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था नहीं है, केवल शासनादेशों की गार्डन फाइल है, जो कि कार्यालय उपयोग के लिये है।

fdln&17

vll; dkbz I puk ; fn gkA

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चिकित्सकों में से विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित हो कर आते हैं परन्तु उनका वेतमान 15600—39100 ग्रेड पे 6600 है। चतुर्थ क्षेणी के आठ स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र एक कर्मचारी कार्यरत है।

(डा० एस० एन० रतुड़ी)

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,

रुद्रप्रयाग